भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 464**

दिनांक 13 दिसंबर, 2018 को उत्‍तर के लिए

**यौन उत्पीड़न की शिकायतों का निवारण करने के लिए योजना**

**464. श्रीमती अम्बिका सोनीः**

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सोशल मीडिया में आ रही यौन उत्पीड़न की बेतहाशा शिकायतों को देखते हुए एक व्यापक योजना बनाने के लिए एक मंत्री-समूह का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रतिवेदन को कब तक अंतिम रूप दे दिए जाने की आशा है; और

(ग) कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध कानून को कारगर ढंग से क्रियान्वित करने और विधिक और संस्थागत ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

डा. वीरेंद्र कुमार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री

(क) से (ख) : जी हां । सरकार ने दिनांक 24 अक्‍तूबर, 2018 के अपने आदेश द्वारा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से निपटने और रोकने के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचे को मजबूत करने के लिए जांच और सिफारिश करने हेतु मंत्री समूह (जीओएम) गठित किया है । मंत्री समूह (जीओएम) की संरचना निम्नानुसार है :

1. श्री राजनाथ सिंह, माननीय गृह मंत्री
2. श्री नितिन गडकरी, माननीय मंत्री, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास एवं गंगा जीर्णोद्धार एवं नौ-परिवहन मंत्रालय
3. श्रीमती निर्मला सीतारमण, माननीया मंत्री, रक्षा मंत्रालय
4. श्रीमती मेनका संजय गांधी, माननीया मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

(ग) : कार्यस्‍थल पर यौन उत्‍पीड़न से निपटने के लिए मौजूदा कानून कार्यस्‍थल पर यौन उत्‍पीड़न से महिलाओं का संरक्षण (निवारण, प्रतितोष और शिकायत निपटान) अधिनियम, 2013 है जिसका उद्देश्‍य महिलाओं को काम करने के लिए सुरक्षित एवं निरापद माहौल मुहैय्या कराना है । इस अधिनियम में सभी महिलाओं को उनकी आयु या रोजगार के स्‍तर पर विचार किए बिना शामिल किया गया है तथा यह सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र के सभी कार्यस्‍थलों पर, चाहे वे संगठित क्षेत्र हों अथवा असंगठित क्षेत्र हों, यौन उत्‍पीड़न के विरूद्ध उन्‍हें सुरक्षा प्रदान करता है । घरेलू कार्यकर्त्रियों को भी इस अधिनियम के दायरे में शामिल किया गया है । इसके अतिरिक्‍त, यौन उत्‍पीड़न के विभिन्‍न अपराधों के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के मौजूदा प्रावधान भी लागू हैं ।

मंत्रालय ने देश की सभी महिला कर्मचारियों, जिसमें सभी सरकारी और निजी कर्मचारी शामिल हैं, को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों को दर्ज़ करने के लिए यौन उत्‍पीड़न इलैक्‍ट्रानिक बॉक्‍स (शी-बॉक्‍स) नामक ऑन-लाइन शिकायत प्रबन्‍धन प्रणाली विकसित की है ।

साथ ही, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों / विभागों तथा राज्‍यों / संघ राज्‍य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने विभागों / कार्यालयों में कर्मचारियों को इस अधिनियम के प्रावधानों के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए कार्यशाला तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करें । इसके अलावा, सभी राज्‍य / संघ राज्‍य क्षेत्र की सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे सचिव, उद्योग / वाणिज्‍य को राज्‍य / संघ राज्‍य क्षेत्र के प्रत्‍येक तथा सभी उद्योगों, व्‍यवसायिक प्रतिष्‍ठानों,निजी क्षेत्र के निकायों को ऐसी कार्यशालाएं तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए परामर्श दें ।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अधिनियम का प्रभावी क्रियान्‍वयन सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर सभी राज्‍यों / संघ राज्‍य क्षेत्र की सरकारों, भारत सरकार के मंत्रालयों / विभागों तथा प्रतिष्ठित व्‍यवसायिक संगठनों, एसोसिएटिड चैम्‍बर ऑफ कॉमर्स एण्‍ड इंडस्‍ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम), फैडरेशन ऑफ इंडियन चैम्‍बर्स ऑफ कॉमर्स एण्‍ड इंडस्‍ट्री (फिक्‍की), कान्‍फेडरेशन ऑफ इंडियन सोसायटी, चैम्‍बर ऑफ कॉमर्स एण्‍ड इंडस्‍ट्री (सीसीआई) तथा नैशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसिज कम्‍पनीज (नैसकॉम) को एडवाइजरी जारी करती है ।

उपरोक्‍त के अलावा, देश भर में अधिनियम के बारे में व्यापक जागरूकता प्रसारित करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने दोनों, संगठित और असंगठित क्षेत्रों में, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मुद्दे पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम अर्थात प्रशिक्षण, कार्यशालाओं आदि प्रदान करने के लिए 223 संसाधन संस्थानों के एक पूल की पहचान की है ।

\*\*\*\*\*